बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001;OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004

Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय–आदेश

संख्या– 294 पटना, दिनांक– 29/09/23

मगध प्रमंडल के क्षेत्राधीन ग्रुप सं०–M.S-183 के तहत Construction of Model School in Bihar (Govt. Basic School at Vishnupur & R.B.R.H.S at Rafiganj in the District of Aurangabad) के भवन का निर्माण कार्य एकरारनामा संख्या–494 SBD of 2014-15, दिनांक–06.12.2014 में कार्यारंभ की तिथि दिनांक–06.12. 2014 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक–05.03.2016 थी। कार्य समाप्ति की तिथि से 07 वर्ष 05 माह से भी ज्यादा समय बीत जाने के पश्चात भी इस कार्य को आपके द्वारा पूर्ण नहीं कराया गया हैं, जिसमें विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल हो रहीं है एवं इसमें खर्च की गयी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण आपको कार्यालय आदेश सं०–116 सह–पठित ज्ञापांक–4927, दिनांक–28.06.2022 से आपके एकरारनामा को विखंडित कर सभी जमा राशि जब्त कर लिया गया था। आपके अनुरोध एवं शपथ–पत्र के आलोक में कार्यालय आदेश सं०–80 सह–पठित ज्ञापांक–2887, दिनांक–28.03.2023 से विखंडित आदेश को इस शर्त्त पर रद्द किया गया था कि शपथ–पत्र में दिये गय समय पर कार्य पूर्ण कर दूँगा। किन्तु शपथ–पत्र में दिनांक–30.04.2023 तक कार्य पूर्ण करने का समय वर्णित है। साथ ही आपके द्वारा शपथ–पत्र में अंकित किया गया है कि दिनांक–30.04.2023 तक कार्य पूर्ण नहीं करने में निगम कोई भी कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है। वर्त्तमान में आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल के पत्रांक–497, दिनांक–04.07.2023 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही आपको Debar भी किया गया जा चुका है।

कार्य की वर्त्तमान स्थिति को देखते हुए आपको एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका–3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) के तहत संदर्भित एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Security Deposit को जब्त करने हेतु कार्यालय पत्रांक–BSEIDC/TECH/135/(Part-IV)2019-6520, Dated-09-08-2023 द्वारा कारण पृच्छा की गयी थी। दिनांक–16.08.2023 तक स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल के अनुशंसा के आलोक में एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका–3 (iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में संवेदक, Maa Sharda Construction के Agreement संख्या–494 SBD of 2014-15, दिनांक–06.12.2014 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के कंडिका 8 (ii) के आलोक में अन्य कार्यवाई भी की जाएगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक– BSEIDC/TECH/135(Part-IV)/2019- पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपिः–**Maa Sharda Construction, New Area, Ward No.-5, Aurangabad, Bihar** को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/135(Part-IV)/2019- पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमंडल, BSEIDC, को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का विस्तृत प्राक्कलन एव परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रत्तर कार्रवाई किया जा सकें।

ह०/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/135(Part-IV)/2019- पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता (मु०), BSEIDC, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांक– BSEIDC/TECH/135(Part-IV)/2019- पटना, दिनांक–.......................

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/–

मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/135(Part-IV)/2019- 7908 पटना, दिनांक–29/09/23

प्रतिलिपिः– वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक, Maa Sharda Construction, New Area, Ward No.-5, Aurangabad, Bihar के एकरारनामा संख्या–494 SBD of 2014-15, दिनांक–06.12.2014 के एकरारनामा Clause of Contract के 3 (vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security जब्त करना सुनिश्चित किया जाए।/निगम बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह कंप्यूटर प्रोगामर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता